रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1971/चैत्र 26, 1893
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 1971/CHAITRA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th April 1971

SUBJECT.—*Validity period of import licences issued under IDA Credit No. 182 IN dated 24th April 1970 (Sixth Industrial Import Project).*

No. 38-ITC(PN)/71.—Import licences issued to actual users under the I.D.A. Credit No. 182 IN dated 24th April, 1970 (Sixth Industrial Import Projects) have been issued either with the initial validity period upto 31st March. 1971 or upto 30th June 1971 and are to be governed by the terms and conditions laid down in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 97-ITC(PN)/70 dated 8th July, 1970. Licence issued with the initial validity upto 31st March, 1971 could be further revalidated upto 30th June, 1971 by the licensing authorities concerned. However, in the case of licences issued on or before Ist December, 1970, extension in the validity period could be permitted upto 30th June, 1971 only where firm orders have been placed for the full value.

2. It has now been decided that import licences issued on or after 1st July 1970 under the aforesaid IDA credit may be deemed to have been automatically valid for shipments/payments for a period of twelve months from the date of issue of the licence or 31st December, 1971, whichever is earlier. It will not be necessary to present the licences to the licensing authorities for endorsement for the purpose. No further grace period will be allowed for making shipments/payments.

3. There will, however, be no change in the procedure for placing orders under the IDA Credit, within four months from the date of issue of the import licence.

4. This facility will not be available to licences which have been converted into IDA credit from other sources in accordance with the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 14-ITC(PN)/71, dated 3rd February, 1971.

5. Public Notice No. 97-ITC(PN)/70 dated 8th July, 1970 may be deemed to have been amended accordingly.

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 1971

विषय:—आई० डी० ए० क्रडिट संख्या 182 आई०एन० दिनांक 24-4-1970 के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि (छटी औद्योगिक आयात परियोजनाएं) ।

स० 38-आई० टी० पी० (पी० एन०)/71.— आई० डी० ए० क्रडिट संख्या 182 आई० एन० दिनांक 24-4-1970 (छटी औद्योगिक आयात परियोजनाओं) के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को जारी किए गए आयात लाइसेंस या तो 31-3-1971 तक और या 30-6-1971 तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किए गए हैं और ये लाइसेंस विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 97-आई०टी०सी० (पी०एन०)/70, दिनांक 8-7-1970 में निर्धारित शर्तों द्वारा शासित किए जाने हैं । 31-3-1971 तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाले जारी किए गए लाइसेंस सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा 30-6-1971 तक के लिए आगे पुनर्वैध किए जा सकते थे । लेकिन, 1-12-1970 को या इससे पहले जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में, जिन में पूर्ण मूल्य के लिए निश्चित आदेश दे दिए गए हैं, वैधता में वृद्धि की अनुमति केवल 30 जून, 1971 तक दी जा सकती थी ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त आई० डी० ए० क्रडिट के अन्तर्गत 1-7-1970 को या इससे बाद में जारी किए गए लाइसेंस इनके जारी होने की तिथि से अथवा 31-12-1971 से, इन में से जो भी पहले हो, 12 महीनों की अवधि के लिए लदानों/भुगतानों के लिए स्वत: वैध समझे जाये । इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस के पृष्ठांकन के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । पोतलदान/भुगतान करने के लिए इससे आगे और अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं दी जायगी ।

3. परन्तु, आई डी ए क्रडिट के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर आदेश देने की क्रिया विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

4. परन्तु यह सुविधा उन लाइसेंसो के लिए उपलब्ध नही होगी जोकि सार्वजनिक सूचना संख्या : 14, दिनांक 3–2–1971 के अनुसार अन्य मोतो से आई०डी०ए० क्रडिट में परिवर्तित किए गए है ।

5. सार्वजनिक सूचना संख्या : 97–आई० टी० सी० (पी० एन०)/7 , दिनांक 8–7–1970 तदनुसार, संशोधित समझी जाए ।

पी० के० समाल

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971